<u>न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या–2, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : नुसरत बानो, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

1–क्लेम याचिका संख्या : 436/2022
सी.आई.एस. नं. : 440/2022
CNR : RJJM060004992022

1. श्रीमती सुमन जैन पत्नी श्री रतन लाल जैन, उम्र 69 वर्ष,
2. रतन लाल जैन पुत्र स्व. श्री जोगी दास जैन, उम्र 81 वर्ष,
3. संजय जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन, उम्र–37 वर्ष,
निवासी – स्थाई पता–11/203, चक्रवर्ती बिल्डिंग, सिन्धी तोप दडा, अजमेर–305001, हाल निवासी–ए–17, फ्लेट नंबर – 703, रूपगार्डन, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. उदित शर्मा पुत्र श्री राजेश शर्मा, उम्र 23 वर्ष, निवासी – प्लॉट नंबर 90, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001।
(चालक कार संख्या RJ-45-CP-3491)
2. राजेश शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा, निवासी – प्लॉट नंबर 90, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001।
(मालिक कार संख्या RJ-45-CP-3491)
3. बजाज एलाइन्स जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी जरिये क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय– हथरोई फोर्ट, थर्ड फ्लोर, गोपालबाड़ी, अजमेर रोड, जयपुर।
(बीमा कंपनी कार संख्या RJ-45-CP-3491)

–अप्रार्थीगण

4. आशीष धांधिया पुत्र श्री प्रकाश चन्द धांधिया, निवासी – किराणा किंग के पास, द्वितीय मंजिल, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर।

–प्रफोर्मा पक्षकार

2–क्लेम याचिका संख्या : 437/2022
सी.आई.एस. नं. : 441/2022
CNR : RJJM060005002022

1. श्रीमती सुमन जैन पत्नी श्री रतन लाल जैन, उम्र 69 वर्ष,
2. रतन लाल जैन पुत्र स्व. श्री जोगी दास जैन, उम्र 81 वर्ष,
3. संजय जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन, उम्र–37 वर्ष,
निवासी – स्थाई पता–11/203, चक्रवर्ती बिल्डिंग, सिन्धी तोप दडा, अजमेर–305001, हाल निवासी–ए–17, फ्लेट नंबर – 703, रूपगार्डन, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।

–प्रार्थीगण

3–क्लेम याचिका संख्या : 448/2022
सी.आई.एस. नं. : 452/2022
CNR : RJJM060005122022

शैलेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री रणधीर सिंह चौहान, उम्र 32 वर्ष, निवासी – सी–29, सिंहभूमि, खातीपुरा, जयपुर। हाल निवासी – फ्लेट नंबर 304, एस.बी. हाइट्स विनायक विहार, गोपालपुरा, सांगानेर, जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. उदित शर्मा पुत्र श्री राजेश शर्मा, उम्र 23 वर्ष, निवासी – प्लॉट नंबर 90, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001। (चालक कार संख्या RJ-45-CP-3491)
2. राजेश शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा, निवासी – प्लॉट नंबर 90, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001। (मालिक कार संख्या RJ-45-CP-3491)
3. बजाज एलाइन्स जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी जरिये क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय– हथरोई फोर्ट, थर्ड फ्लोर, गोपालबाड़ी, अजमेर रोड, जयपुर। (बीमा कंपनी कार संख्या RJ-45-CP-3491)

–अप्रार्थीगण

क्लेम याचिकाएँ अन्तर्गत धारा 166 एम.वी.एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री मोहित तिवाड़ी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से (याचिका संख्या 436 / 2022 व 439 / 2022)।
2. श्री सतीश कुमार शर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से (याचिका संख्या 448 / 2022)।
3. श्री दुष्यंत अवस्थी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।
4. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
5. अप्रार्थी संख्या 4 (याचिका संख्या 436 / 2022) के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय **दिनांक : 13–08–2026**

1. हस्तगत क्लेम याचिका संख्या 436 / 2022 एवं 437 / 2022 प्रार्थीगण श्रीमती सुमन जैन व अन्य की ओर से मोटर दुर्घटना में अपने परिजनों श्रीमती प्रीति जैन एवं तृप्ति जैन की मृत्यु होने के कारण दिनांक 13–07–2022 को तथा क्लेम याचिका संख्या 448 / 2022 प्रार्थी शैलेन्द्र सिंह चौहान की ओर से स्वयं के मोटर दुर्घटना में चोटें आने के कारण दिनांक 01–08–2022 को प्रतिकर प्राप्ति हेतु अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। उक्त क्लेम याचिकाएं एक ही दुर्घटना से संबंधित होने के कारण दिनांक 06–12–2024 को क्लेम याचिका संख्या 437 / 2022 व 448 / 2022 को याचिका संख्या 436 / 2022 के साथ समेकित करने का आदेश दिया गया। इन याचिकाओं का निस्तारण हस्तगत निर्णय के द्वारा एक साथ किया जा रहा है।

2. हस्तगत याचिकाओं के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 05–06–2022 को मृतका प्रीति जैन व तृप्ति जैन स्कूटी नंबर RJ-01-SD-9120 द्वारा जैन मंदिर आदर्श नगर से घर आ रही थी तथा प्रार्थी शैलेन्द्र सिंह अपनी मोटर साइकिल नंबर RJ-14-

BE-6330 से ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ जा रहा था, तभी परनामी मंदिर के पास 811 अशोक गुप्ता के मकान के पास चौराहे पर सामने से एक कार नंबर RJ-45-CP-3491 (**जिसे आगे प्रश्नगत वाहन कहा जाएगा**) को उसका चालक गफलत व असावधानीपूर्वक, तेजगति से चलाते हुए लाया और स्कूटी के टक्कर मार दी और इसके पश्चात् मोटर साइकिल के टक्कर मार दी जिसके परिणामस्वरूप मृतका प्रीति जैन व तृप्ति जैन की गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई तथा प्रार्थी शैलेन्द्र सिंह के शरीर पर गंभीर चोटें कारित हुई। दुर्घटना से पूर्व मृतका प्रीति जैन रघुदीप आई हॉस्पिटल में काउंसलर के पद पर कार्य करके 18,000 / – रुपये मासिक आय अर्जित करती थी तथा मृतका तृप्ति जैन कोस्मोस जेम्स एक्सपोर्ट्स, सुभाष चौक, जयपुर में असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थी एवं ज्वैल्स इण्डिया महावीर नगर में अकाउन्टेट के पद पर कार्यरत थी तथा अकाउन्ट्स विषय की प्रख्यात अध्यापिका थी जो तृप्ति क्लासेज के नाम से सी.ए / सी.एस. के विद्यार्थियों को कोचिंक कराती थी तथा 53,000 / – रुपये मासिक आय अर्जित करती थी। मृतकागण की अकस्मात् मृत्यु के कारण प्रार्थीगण सुमन जैन व अन्य उनके द्वारा दिये जाने वाले आर्थिक सहयोग से वंचित हो गये हैं। प्रार्थी शैलेन्द्र सिंह दुर्घटना से पूर्व 32 वर्षीय स्वस्थ व्यक्ति था जो प्राइवेट जॉब कर प्रतिमाह वेतन 42,000 / – रुपये प्राप्त करता था, दुर्घटना में उसके दाहिने पैर में दो जगह फ्रैक्चर हुए तथा शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आयीं जिनके कारण प्रार्थी कार्य नहीं कर सकेगा, उसे दुर्घटना के कारण गंभीर आर्थिक, मानसिक व शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 1 चालक द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 पंजीकृत स्वामी के हितार्थ, लाभार्थ एवं निर्देशानुसार प्रश्नगत वाहन को तेजगति, गफलत व लापरवाही से यह घटना कारित की गई है तथा वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन अप्रार्थी संख्या 3 से बीमित था। इस प्रकार अप्रार्थीगण क्षतिपूर्ति अदायगी हेतु संयुक्ततः अथवा पृथक–पृथक रूप से जिम्मेदार हैं। प्रार्थीगण की ओर से याचिकाओं में अंकितानुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

3. याचिका संख्या 448 / 2022 में न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अप्रार्थी संख्या 3 के रूप में पक्षकार बनाया गया था, जिसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर दोनों पक्षों को सुना जाकर न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिनांक 09–10–2023 को डिलिट किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नहीं आने के कारण याचिका संख्या 448 / 2022 में दिनांक

20–01–2023 को तथा याचिका संख्या 436/2022 व 437/2022 में दिनांक 31–03–2023 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

4. अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कंपनी की ओर से याचिका का जवाब पेश कर क्लेम को अस्वीकार करते हुए इस आशय के अभिकथन अंकित किये गये कि बीमित वाहन तथाकथित दुर्घटना में लिप्त नहीं था। कथित दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास बीमित वाहन को चलाने का वैध लाइसेंस नहीं था इस तथ्य की जानकारी वाहन स्वामी अप्रार्थी संख्या 2 को थी इस प्रकार बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होने के कारण क्षतिपूर्ति अदायगी हेतु बीमा कंपनी जिम्मेदार नहीं है दुर्घटना कार चालक की अत्यधिक शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण घटित हुई है जो पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। दुर्घटना वाहन संख्या RJ-01-SD-9120 एवं RJ-14-BE-6330 के चालकों तेजगति व लापरवाही से हुई है और वाहन संख्या RJ-01-SD-9120 पर पीछे बैठी सवारी ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। इस प्रकार क्षतिपूर्ति अदायगी का दायित्व बीमा कंपनी का नहीं है लेकिन यदि अधिकरण किन्हीं सूक्ष्म कारणों से अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कंपनी का कोई दायित्व होना माने तो क्षतिपूर्ति की मात्रा निर्धारित करते समय मृतकागण व प्रार्थी स्वयं की अंशदायी उपेक्षा को ध्यान में रखकर क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जानी चाहिए। अंत में याचिकाएं विरुद्ध बीमा कंपनी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर अधिकरण द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गएः–

1.	क्या दिनांक 05.06.2022 को समय करीब 06:15 ए. एम. पर अशोक गुप्ता के मकान के पास, गुरूराम दास मार्ग, आदर्श नगर, पी.एस. मोती डूंगरी जयपुर पर प्रश्नगत वाहन कार संख्या RJ-45-CP-3491 के चालक उदित शर्मा (अप्रार्थी संख्या–1) द्वारा उक्त वाहन को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की गई। जिसके परिणामस्वरूप प्रीति जैन व तृप्ति जैन की मृत्यु हुई तथा शैलेन्द्र सिंह चौहान के चोटें कारित हुई? – प्रार्थीगण
2	क्या बरवक्त दुर्घटना उक्त प्रश्नगत वाहन को उक्त वाहन के रजिस्टर्ड स्वामी अप्रार्थी संख्या–2 राजेश शर्मा के नियोजन में होकर चालक द्वारा उन्हीं के हितार्थ या उनकी सहमति/जानकारी से चलाया जा रहा था? – प्रार्थीगण
3	अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के लिखित कथनों की प्रारम्भिक/विशेष कथन की आपत्तियां सार्थक हैं? यदि हां, तो इसका याचिका पर क्या असर होगा? –अप्रार्थीगण
4	क्या उक्त दुर्घटना में प्रीति जैन व तृप्ति जैन की मृत्यु तथा शैलेन्द्र सिंह चौहान के आहत होने के कारण प्रार्थीगण याचिका/याचिकाओं में न्यायसम्मत रूप से कितनी कितनी क्लेम राशि किस–किस अप्रार्थी से

	किस–किस प्रकार से प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? – प्रार्थीगण
5	अनुतोष?

6. हस्तगत क्लेम याचिकाओं में मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत प्रार्थीगण की ओर से एडब्ल्यू 1 शैलेन्द्र सिंह चौहान तथा एडब्ल्यू 2 सुमन जैन प्रस्तुत हुए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–77ए प्रदर्शित कराये गये हैं।

7. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

8. उभयपक्ष की बहस अन्तिम सुनी गई, पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

9. प्रार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि दुर्घटना दिनांक 05–06–2022 की है जिसकी रिपोर्ट दुर्घटना दिवस को ही दर्ज करा दी गई थी कार चालक दुर्घटना के समय मौके पर ही कार को छोड़कर भाग गया जिसकी जब्ती भी मौके से ही की गई इसके अतिरिक्त दुर्घटना में घायल हुए प्रश्नगत वाहन के चालक की लापरवाही के तथ्य की पुष्टि प्रस्तुत साक्ष्य से होती है। प्रार्थी शैलेंद्र सिंह स्वयं इस दुर्घटना में घायल हुआ जिसने चश्मदीद साक्षी के रूप में साक्ष्य दी है। वक्त दुर्घटना मृतका प्रीति रघुदीप आई हॉस्पिटल में कार्य कर 18000/– रुपए प्रतिमाह प्राप्त करती थी इसी प्रकार मृतका तृप्ति कॉस्मोस जैम्स एक्सपोर्ट्स तथा ज्वैल्स इंडिया नामक दो कंपनियों में कार्यरत रहकर आय अर्जित करती थी, उसकी आय संबंधी दस्तावेजात पेश है। प्रार्थी शैलेंद्र सिंह वक्त दुर्घटना संस्कृति आर्किटेक्ट में कार्यरत था जहां उसे 42000/– प्रतिमाह वेतन मिलता था दुर्घटना के कारण वह तीन माह तक अपने कार्य पर नहीं जा सका जिससे उसके वेतन की की हानि वेतन की हानि हुई। अतः याचिकाओं में अंकित अनुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जानी चाहिए।

10. विपक्षी बीमा कंपनी के अधिवक्ता का लिखित व मौखिक बहस में तर्क है कि दुर्घटना में बीमित वाहन को मिथ्या संलिप्त दर्शाया गया है। बीमित वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई। मृतका तृप्ति जैन की आय के संबंध में भिन्न–भिन्न तथ्य अंकित किये गये हैं। आयकर रिटर्न में मृतका की आय को बढ़ा–चढ़ाकर दर्शाया गया है। अतः आयकर रिटर्न्स विश्वसनीय नहीं हैं। वेतन संबंधी बैंक स्टेटमेंट पेश नहीं किया गया है। केवल वेतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना पर्याप्त नहीं है बल्कि मृतका के नियोक्ता को बतौर साक्षी परीक्षित कराना चाहिए। इसी प्रकार मृतका प्रीति जैन की आय को लेकर भी बढ़ा–चढ़ाकर तथ्य अंकित किये गये हैं। उसके बैंक स्टेटमेंट व नियोक्ता को पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी शैलेन्द्र का स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र

बनाने वाले डॉक्टर को साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया गया। उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के कारण शैलेन्द्र की आय अर्जन क्षमता में कोई कमी नहीं हुई है क्योंकि वह वर्तमान में भी उसी पद पर कार्य कर रहा है। इस प्रकार बीमित वाहन को दुर्घटना में मिथ्या फंसाया गया है। अतः याचिकाएं खारिज की जानी चाहिए। अपने पक्ष के समर्थन में बीमा कंपनी की ओर से निम्नांकित न्यायिक विनिश्चय पेश किये गये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गयाः–

(i) Ms. Saku Bai and ors. vs N.S. Pillai and ors. Misc. First Appeal No. 3216/2008, decided on 24.02.2012 Karnataka

(ii) Anoop Maheshwari vs Oriental Insurance Co. Ltd. and ors. civil Appeal no. 12098-12099/2024, decided on 04.09.2025, Supreme Court

(iii) New India Assurance Co. Ltd. vs Sonigra Juhi Uttamchand and ors. SLP (C) No. 30491/2018, decided on 02.01.2025 Supreme Court

(iv) Uttar Pradesh Road Transport Corpn. vs Vibhor Fialok and anr., civil appeal no. 1337/2019, decided on 18.02.2025, Supreme Court

11. पत्रावलियों के समग्र अवलोकन के पश्चात् विनिर्मित विवाद्यकों पर हमारा विनिश्चय निम्न प्रकार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या 01 व 02 :–</u>

12. विवाद्यक संख्या 1 व 2 एक दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से इन दोनों विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। यह सुस्थापित विधि है कि प्रार्थी को ही प्रश्नगत वाहन की दुर्घटना में संलिप्तता तथा उसके चालक की लापरवाही व उपेक्षा का तथ्य प्रमाणित करना होता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सुरेन्दर कुमार अरोडा बनाम मनोज बिसला एआईआर 2012 सुप्रीम कोर्ट 1918** के मामले में सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसके अतिरिक्त **सजीना इकबाल व अन्य बनाम मिनीबाबू जॉर्ज व अन्य (2024) एससीसी ऑनलाइन एससी 2883** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि प्रार्थी को केवल अधिसंभावनाओं की प्रबलता की हद तक प्रकरण साबित करना होता है ना कि संदेह से परे।

13. प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श 7 श्रीमती कविता जैन द्वारा दिनांक 05–06–2022 को इस आशय की लिखायी गई कि उसकी बहने प्रीति जैन व तृप्ति जैन दिनांक 05–06–2022 को सुबह 06:15 ए.एम. पर अपनी स्कूटी संख्या RJ-01-SD-9120 से जैन मंदिर आदर्श नगर से घर वापस जा रही थी, जब वे परनामी मंदिर के पास 811 अशोक गुप्ता के मकान के पास चौराहे पर पहुंची तभी सामने से

एक किया कार नंबर RJ-45-CP-3491 का चालक तेजगति व लापरवाहीपूर्वक लहराता हुआ आकर दोनों बहनों के हिट किया जिससे दोनों बहनों के ऊपर कार चढ़ गई। उसी समय उनके पीछे आ रही मोटर साइकिल नंबर RJ-14-BE-6330 के चालक शैलेन्द्र सिंह के टक्कर मारी। जिससे उसकी दोनों बहनों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई व शैलेन्द्र के गंभीर चोटें आयीं, जो ट्रोमा में भर्ती है। उसकी बहनों की लाश मुर्दाघर एस.एम.एस. में रखी है। चालक के खिलाफ कार्यवाही की जाये। उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर थाना मोती डूंगरी में मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

14. इस सम्बन्ध में प्रार्थी एडब्ल्यू 1 शैलेन्द्र सिंह चौहान ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 05–06–2022 को वह अपने घर से मोटरसाइकिल संख्या RJ-14-BE-6330 से ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ जा रहा था। समय करीब सुबह 06:15 बजे के लगभग एक कार संख्या RJ-45-CP-3491 के चालक ने अपने वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाते हुये पहले तो एक एक्टिवा जिस पर दो लड़कियां सवार थीं, के टक्कर मारी, बाद में उसकी मोटरसाइकिल के टक्कर मारी जिससे वह गिर गया था। उक्त दुर्घटना में एक्टिवा सवार दोनों लड़कियों की मृत्यु हो गयी तथा उसके दायें पैर में फ्रेक्चर हो गया था व शरीर के अन्य भागों में चोटें आयी थी। मौके पर पुलिस आ गयी थी। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया था। दुर्घटना के बाद 108 एम्बुलेंस से उसे एस.एम.एस. अस्पताल ले जाया गया था जहाँ पर उसका इलाज हुआ था। यह दुर्घटना प्रश्नगत वाहन कार के चालक की गलती व लापरवाही से हुई थी। उसने दस्तावेजात प्रदर्श–1 चाक एफ.आई.आर., प्रदर्श–2 सुपर्दगीनामा, प्रदर्श–3 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रदर्श–4 चालन अनुज्ञापत्र, प्रदर्श–5 बीमा प्रमाण पत्र, प्रदर्श–6 आरोप–पत्र, प्रदर्श–7 तहरीरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श–8 नक्शा मौका, प्रदर्श–9 फर्द जब्ती मोटरसाइकिल, प्रदर्श–10 फर्द जब्ती कार, प्रदर्श–11 कार की मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट, प्रदर्श–12 नोटिस 133 एम. वी. एक्ट, प्रदर्श–13 नोटिस 134 एम.वी. एक्ट, प्रदर्श 14 एक्स–रे रिपोर्ट, प्रदर्श 15 फर्द जब्ती कागजात, प्रदर्श–16 बीमा प्रमाण पत्र, प्रदर्श–17 चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श–18 स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र, प्रदर्श–19 पी डी रसीद, प्रदर्श–20 डिस्चार्ज टिकिट, प्रदर्श–21 वेतन प्रमाण पत्र, प्रदर्श–22 लगायत प्रदर्श–27 इलाज के बिल व पर्चियां पेश किये हैं। जिरह में मुख्यतः कथन किया कि दुर्घटना दिवस को वह साईट विजिट के लिए दौसा जा रहा था। उसके पास वाहन चलाने का डी. एल. है जो उसने पेश नहीं किया है। दुर्घटना स्थल के पास चौराहा है। दुर्घटना स्थल पर

सड़क की चौड़ाई करीब 100 फिट है और डिवाईडर बना हुआ नहीं है। वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया था। यह कहना गलत है कि वह गिरते ही बेहोश हो गया हो। उसे एस.एम.एस. अस्पताल पुलिस लेकर गयी थी जहां वह चार दिन भर्ती रहा था। पुलिस को मौके पर से उपस्थित लोगों में से किसी ने सूचना दी थी। दुर्घटना स्थल पर भीड़ रहती है लेकिन सुबह के समय नही थी। दुर्घटना कारित करने वाला वाहन बहुत तेजगति से आया था जो उसे 100 मीटर से दिखाई दे दिया था। उसकी मोटरसाइकिल के दाहिने तरफ टक्कर मारी थी। दुर्घटना कारित करने वाला वाहन ग्रे रंग का था। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन में चार लोग सवार थे।

15. एडब्ल्यू 2 सुमन जैन ने साक्ष्य में कथन किया है कि मृतका श्रीमती प्रीति जैन एवं तृप्ति जैन उसकी पुत्रियां थी। दिनांक 05–06–2022 को प्रीति अपनी छोटी बहन तृप्ति को स्कूटी पर पीछे बैठाकर मन्दिर से घर आ रही थी। जब वे परनामी मन्दिर के पास एवं अशोक गुप्ता के मकान के पास, चौराहे पर पहुंच कर चौराहा आधे से ज्यादा पार कर चुकी थी, तथी दाहिनी ओर से एक कार को उसका चालक तेजगति व लापरवाही से चलाकर लाया और स्कूटी के टक्कर मार दी व एक अन्य मोटरसाइकिल के भी टक्कर मार दी जिसके परिणामस्वरूप उसकी दोनों पुत्रियों की मृत्यु हो गयी एवं मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया। उसने दस्तावेजात प्रदर्श–28 फर्द निरीक्षण स्कूटी, प्रदर्श–29 फर्द निरीक्षण मोटर साइकिल, प्रदर्श–30 मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट, प्रदर्श–31 व 32 पोस्टमॉर्टम बाबत् तहरीर, प्रदर्श–33 प्रीति जैन की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, प्रदर्श–34 तृप्ति जैन की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, प्रदर्श–35 तृप्ति जैन की रसीद सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श–36 प्रीति जैन की रसीद सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श–37 रघुदीप आई अस्पताल का ऑफर लैटर, प्रदर्श–38 व 39 अप्रेल–मई 2022 की पे–स्लिप, प्रदर्श–40 रघुदीप आई अस्पताल का प्रमाण पत्र, प्रदर्श–41 लगायत 47 प्रीति की आयकर विवरणिकाएं, प्रदर्श–48 व 48ए एम.कॉम की अकंतालिका व उसकी कम्पेयर कॉपी, प्रदर्श–49 कॉसमॉस जैम्स का वेतन प्रमाण पत्र, प्रदर्श–50 लगायत प्रदर्श–63 पेमेन्ट वाउचर, प्रदर्श–64 ज्वैल्स इण्डिया का प्रमाण पत्र, प्रदर्श–65 लगायत 76 पेमेन्ट वाउचर, प्रदर्श–77 व 77ए तृप्ति की एम. कॉम की अंकतालिका व उसकी कम्पेयर कॉपी प्रदर्श कराये हैं। जिरह में मुख्यतः कथन किया कि वक्त दुर्घटना वह मौके पर मौजूद नहीं थी। इसलिए वह नहीं बता सकती कि दुर्घटना मे किसकी गलती रही थी।

16. उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि दुर्घटना दिनांक 05–06–2022 की है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 05–06–2022 को ही प्रश्नगत वाहन के नंबर व दुर्घटना का विवरण अंकित करते हुए दर्ज करा दी गई थी। दुर्घटना में प्रश्नगत वाहन की संलिप्तता व उसके चालक की लापरवाही व उपेक्षा के संबंध में एडब्ल्यू 1 शैलेन्द्र सिंह चौहान की साक्ष्य विश्वसनीय रही है, उसने प्रश्नगत वाहन के चालक द्वारा तेजगति व लापरवाहीपूर्वक वाहन को चलाते हुए पहले एक्टिवा के टक्कर मारना तत्पश्चात् उसकी मोटर साइकिल के टक्कर मारना कथित किया है जिसके कारण एक्टिवा सवार मृतकागण व प्रार्थी शैलेन्द्र के चोटें कारित हुई। प्रदर्श 10 फर्द जब्ती के जरिये प्रश्नगत वाहन कार को टी–3 पुलिस पार्किंग में खड़ी हुई को जब्त किया गया है जिसकी मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श 11 के अनुसार प्रश्नगत वाहन के सामने आगे का बम्पर टूटा हुआ, आगे की रेडियेटर जाली टूटी हुई, सामने आगे की दोनों हैड लाइट टूटी हुई, आगे का बोनट मुचा हुआ होना पाया गया है। क्षतिग्रस्त मोटर साइकिल की फर्द निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 9 के अनुसार मोटर साइकिल के आगे का मडगार्ड व मास्क, मीटर बॉक्स टूटा हुआ, मेन लाइट टूटी हुई, दोनों लेगगार्ड मुचे हुए, टंकी पर मोच, साइलेंसर व बॉडी पर जगह–जगह ताजा स्क्रेच व रगड़क के निशान होना व मोटर साइकिल चालू हालत में नहीं होना पाया गया है तथा फर्द निरीक्षण रिपोर्ट एक्टिवा प्रदर्श 28 के अनुसार एक्टिवा की बॉडी पूर्णतया क्षतिग्रस्त होना, बॉडी पर मोच व रगड़क के निशान होना, सीट कवर उखड़ा हुआ, पैनल पर रगड़क व मुचा हुआ, जगह–जगह रगड़क के निशान, एक्टिवा चालू हालत में नहीं होना पाया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत वाहन कार तथा क्षतिग्रस्त मोटर साइकिल व एक्टिवा पर दुर्घटना से सुसंगत क्षतियां दर्शित होने से प्रश्नगत वाहन कार तथा क्षतिग्रस्त मोटर साइकिल व एक्टिवा की दुर्घटना में संलिप्तता के तथ्य की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श 12 धारा 133 एम.वी. एक्ट के नोटिस के जवाब में अप्रार्थी संख्या 2 राजेश शर्मा ने प्रश्नगत वाहन का स्वयं को मालिक होना व वक्त दुर्घटना उसकी कार को उदित शर्मा द्वारा चलाये जाने का तथ्य अंकित किया है तथा प्रदर्श 13 धारा 134 एम.वी. एक्ट के नोटिस के जवाब में उदित शर्मा ने वक्त दुर्घटना स्वयं द्वारा प्रश्नगत वाहन को चलाया जाना स्वीकार किया है, जिससे भी दुर्घटना में प्रश्नगत वाहन की संलिप्तता के तथ्य की पुष्टि होती है। जहां तक प्रश्नगत वाहन के चालक की लापरवाही का संबंध है तो दुर्घटना दिवस को ही बनाये गये नक्शा मौका प्रदर्श 8 के अनुसार एक्स स्थान पर चौराहे के बीच में प्रश्नगत वाहन कार के चालक द्वारा लापरवाही से वाहन को

चलाकर पहले एक्टिवा व इसके पश्चात् मोटर साइकिल को टक्कर मारी गई तथा स्कूटी को घसीटते हुए ले गया। इस प्रकार प्रश्नगत वाहन के चालक की लापरवाही व उपेक्षा के कारण दुर्घटना होने के तथ्य की पुष्टि होती है। प्रार्थी शैलेन्द्र सिंह चौहान के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 17 में उसके दिनांक 05–06–2022 को आरटीए में चोटें आना अंकित है, प्रदर्श 31 व 32 मृतका तृप्ति जैन व प्रीति जैन के पोस्टमॉर्टम करवाने बाबत् दी गई तहरीर है जिसमें उनकी उक्त सड़क दुर्घटना में चोटग्रस्त होने से मृत्यु होना अंकित है। मृतका प्रीति जैन की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श 33 के अनुसार उसके सिर की अंदरूनी चोट के कारण उत्पन्न कोमा से उसकी मृत्यु हुई है तथा मृतका तृप्ति जैन की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श 34 के अनुसार उसकी सड़क दुर्घटना में आयी चोटों के कारण उत्पन्न शॉक के कारण मृत्यु हुई है। इस प्रकार इसी दुर्घटना में प्रार्थी शैलेन्द्र सिंह चौहान के चोटें कारित होना तथा प्रीति जैन व तृप्ति जैन की दुर्घटना में आयी चोटों के कारण मृत्यु होना प्रमाणित है। आरोप–पत्र प्रश्नगत वाहन के चालक उदित शर्मा की दुर्घटना में लापरवाही व उपेक्षा मानकर उसके विरुद्ध धारा 279, 337, 338 व 304ए आईपीसी एवं 134 / 187 एम.वी. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। अतः अधिसंभावनाओं की प्रबलता की हद तक प्रार्थीगण अपना पक्ष साबित करने में सफल रहे हैं।

17. प्रश्नगत वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 से प्रश्नगत वाहन का वक्त दुर्घटना पंजीकृत स्वामी राजेश शर्मा अप्रार्थी संख्या 2 का होना प्रकट है, प्रश्नगत वाहन के चालक उदित शर्मा का चालन अनुज्ञापत्र प्रदर्श 4 है जो वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन को चलाने हेतु वैध व प्रभावी था तथा प्रदर्श 5 व प्रदर्श 16 बीमा प्रमाण पत्र के अनुसार प्रश्नगत वाहन वक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या 3 बजाज एलाइन्स जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड से थर्ड पार्टी पॉलिसी के तहत से बीमित था।

18. उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि दिनांक 05.06.2022 को समय करीब 06:15 ए. एम. पर अशोक गुप्ता के मकान के पास, गुरूराम दास मार्ग, आदर्श नगर, पी.एस. मोती डूंगरी जयपुर पर प्रश्नगत वाहन कार संख्या RJ-45-CP-3491 के चालक उदित शर्मा (अप्रार्थी संख्या–1) द्वारा उक्त वाहन को तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की गई। जिसके परिणामस्वरूप प्रीति जैन व तृप्ति जैन की मृत्यु हुई तथा शैलेन्द्र सिंह चौहान के चोटें कारित हुई तथा बरवक्त दुर्घटना उक्त प्रश्नगत वाहन को उक्त वाहन के रजिस्टर्ड स्वामी अप्रार्थी संख्या–2 राजेश शर्मा के नियोजन में होकर चालक द्वारा

उन्हीं के हितार्थ या उसकी सहमति/ जानकारी से चलाया जा रहा था, अतः विवाद्यक संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णीत किये जाते हैं।

विवाद्यक संख्या 03:–

19. इस विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थीगण का है। प्रश्नगत वाहन की दुर्घटना में संलिप्तता तथा इसके चालक की लापरवाही व उपेक्षा संबंधी आपत्तियों का निस्तारण विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन में किया जा चुका है। विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से जवाबदावे में अंकित अन्य किसी आपत्ति बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। अतः यह विवाद्यक अप्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 04:–

20. इस विवाद्यक को सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण पर है। चूंकि अधिकरण द्वारा उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण के पक्ष तथा तनकी संख्या 3 अप्रार्थीगण के विरूद्ध तय की गई है। ऐसी स्थिति में अब अधिकरण को यह तय करना है कि प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से कितनी–कितनी क्षतिपूर्ति राशि किस – किस मद में प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

(1) – क्लेम याचिका संख्या : 436/2022, श्रीमती सुमन जैन व अन्य बनाम उदित शर्मा व अन्य :–

21. इस संबंध में मृतका प्रीति जैन की माता एडब्ल्यू 2 श्रीमती सुमन जैन ने साक्ष्य दी है कि उसकी पुत्री प्रीति जैन की दुर्घटना के समय उम्र 40 वर्ष थी जिसकी जन्मतिथि 11–04–1982 थी तथा वह एम.कॉम. तक शिक्षित थी। दुर्घटना से पूर्व उसकी पुत्री छात्रों को अकाउण्ट्स का ट्यूशन पढ़ाती थी एवं रघुदीप आई अस्पताल तिलक नगर में रिसेप्शनिस्ट एवं काउन्सलर के पद पर दिनांक 12–04–2022 से कार्यरत थी जिसकी मासिक आय 18 हजार रुपये थी एवं ट्यूशन से मासिक आय करीब 25 हजार रूपये थी। उसकी दोनों पुत्रियों की आय से उनके परिवार का भरण–पोषण होता था। जिनकी अकस्मात् मुत्यु होने से उसका परिवार उनकी आय से वंचित हो गया है। दुर्घटना में स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गयी तथा अन्य सामाजिक रिति–रिवाजों पर भी व्यय हुआ। जिरह में मुख्यतः कथन किया कि वह गृहणी है और उसके पति भी कोई काम नहीं करते है। प्रदर्श 37 किसने जारी किया है वह नहीं बता सकती। प्रदर्श 37 उसका पुत्र लेकर आया था। प्रीति रघुदीप अस्पताल में काम करती थी। प्रदर्श 38 व 39 किसने जारी किया है वह नहीं बता सकती। प्रदर्श 38 व 39 में बेसिक सैलरी 6840/– रूपये अंकित है। उसने अपनी

दोनों पुत्रियों के वेतन संबंधी बैंक स्टेटमेन्ट पेश नहीं किया है। उसने अपनी दोनों पुत्रियों के वेतन संबंधी बैंक स्टेटमेन्ट पेश नहीं किया है। प्रदर्श 40 किसने जारी किया वह नहीं बता सकती लेकिन उस अस्पताल की मोहर लगी हुई है।

22. प्रार्थीपक्ष की साक्ष्य पर विचार किया गया तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को सुना गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मृतक के किसी भी विधिक प्रतिनिधि द्वारा क्लेम याचिका पेश की जा सकती है। स्वीकृत रूप से मृतका प्रीति जैन अपने पति के साथ नहीं अपितु माता–पिता के साथ रहती थी और माता–पिता के भरण–पोषण में योगदान देती थी। इस प्रकार यदि क्लेम याचिका उसके पति द्वारा पेश नहीं की गई है तो भी हस्तगत प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों में मृतका के माता–पिता का क्लेम पेश करने का विधिक अधिकार बाधित नहीं हुआ है तथा मृतका के पति को प्रफोर्मा प्रतिवादी के रूप में पक्षकार भी बनाया गया है। प्रार्थीगण को दिलायी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में सर्वप्रथम मृतक की आयु व आय का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण को दिलायी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में हमारा विवेचन निम्न प्रकार है :–

मृतक की आयु

23. जहां तक बरवक्त दुर्घटना मृतका प्रीति जैन की आयु का प्रश्न है तो याचिका में वक्त दुर्घटना मृतक की आयु 40 वर्ष अंकित है, एडब्ल्यू 2 सुमन जैन ने साक्ष्य में मृतका की आयु 40 वर्ष होना तथा उसकी जन्मतिथि 11–04–1982 होना कथित किया है, प्रदर्श 33 प्रीति जैन की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसकी आयु 36 वर्ष अंकित है तथा उसके आधार कार्ड व पैन कार्ड की फोटोप्रति में उसकी जन्म दिनांक 11–04–1982 अंकित है, जिसके अनुसार वक्त दुर्घटना उसकी आयु 40 वर्ष 1 माह होती है, जिसे 36 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में माना जाना उचित है। **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2009 (2) T.A.C. 677 (S.C.) Smt. Sarla Verma and others Vs. Delhi Transport Corporation and Another** में प्रतिपादित सिद्धान्तों व दिशा–निर्देशों की अनुपालना में पंचाट राशि निर्धारण हेतु 15 का गुणांक उपयोग में लाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

मृतक की आय

24. जहां तक मृतका प्रीति जैन की आय का संबंध है तो उसकी माता एडब्ल्यू 2 सुमन जैन ने उसका रघुदीप आई हॉस्पिटल में काम करना व प्रतिमाह 18 हजार रुपये आय प्राप्त करना बताया है जिस संबंध में दस्तावेजात प्रदर्श 37 से 39 पेश हैं, उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट है कि प्रदर्श 37 रघुदीप आई हॉस्पिटल का

ऑफर लैटर, प्रदर्श 38, 39 व 40 उसका नियुक्ति पत्र व सैलेरी स्लिप प्रस्तुत की गई हैं लेकिन ना तो साक्ष्य में नियोक्ता पेश है और ना ही सैलेरी स्लिप प्रदर्श 38 व 39 में मृतका के बैंक का नाम अथवा बैंक अकाउंट नंबर अंकित है। प्रार्थी की ओर से मृतका का कोई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी पेश नहीं किया गया है जिसमें उक्त अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट का कार्य करके आय प्राप्त होना प्रकट होता हो। प्रदर्श 41 से 47 आयकर रिटर्न पेश किये गये हैं, जिनमें मृतका की ट्यूशन से आय होना बताया गया है, वेतन से कोई आय प्राप्त होना दर्शित नहीं है। याचिका में मृतका प्रीति जैन का केवल रघुदीप आई हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्य कर आय अर्जित करना अंकित किया गया है, अकाउंट्स की ट्यूशन कर आय अर्जित करने का अंकन नहीं है। इस प्रकार आयकर रिटर्न याचिका में अंकित तथ्यों से विरोधाभासी हो जाती है तथा रघुदीप आई हॉस्पिटल में कार्यरत होकर वेतन प्राप्त करने संबंधी पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में उक्त तथ्य भी विश्वास योग्य नहीं है। अतः प्रदर्श 37 लगायत प्रदर्श 47 के आधार पर मृतका की आय प्रमाणित नहीं होती है। तथापि प्रदर्श 48 अंकतालिका से मृतका प्रीति जैन का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषय में एम.कॉम. उत्तीर्ण होना प्रकट होता है। जो व्यवसाय प्रबन्धन की विशेष शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी डिग्री है, जिस आधार पर उसकी आय उच्च कुशल श्रेणी के श्रमिक के बराबर माना जाना न्यायोचित है।

25. अतः उपरोक्तानुसार मृतका को स्वनियोजित मानते हुए उसकी आय तत्प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के प्रावधानों के अनुसार उच्च कुशल श्रेणी के श्रमिक के बराबर मानी जाना उचित है जो राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार दुर्घटना के समय 333 /– रुपये प्रतिदिन थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के विनिश्चय **लीलाराम बनाम देशराज व अन्य 2021 (2) एसीटीसी (राजस्थान) 1113** में मासिक आय कार्यदिवस 30 दिन मानकर निर्धारित किये जाने के दिशा–निर्देश दिये गये हैं। उक्त विनिश्चय से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Special Leave Petitition (Civil) No. 25590 of 2014 National Insurance Company Limited Vs. Pranay Sethi & Ors.** की रोशनी में मृतका को स्वनियोजित मानते हुए दुर्घटना के समय राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार उसकी आय घटना के दिन एक उच्च कुशल मजदूर की आय के समान मानी जाकर, आय प्रतिदिन 333 /– रुपये व प्रतिमाह 30 कार्यदिवस मानते हुए मृतका की मासिक आय **9,990** /– रुपये निर्धारित की जाती है।

भविष्य वृद्धि

26. न्यायिक दृष्टान्त **Special Leave Petitition (Civil) No. 25590 of 2014 National Insurance Company Limited Vs. Pranay Sethi & Ors.** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृतका के 40 वर्ष से 50 वर्ष आयु के स्वनियोजित व्यक्ति हेतु 25 प्रतिशत भावी आय वृद्धि किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः उक्त 25 प्रतिशत की वृद्धि भावी आय में करने पर 9,990 + 2,497.5 = **12,487.5**/– रुपये मृतक की मासिक आय प्राप्त होती है।

आय में कटौती

27. प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 मृतक के माता व पिता हैं, प्रार्थी संख्या 3 मृतका का भाई है जो मृतका पर आश्रित होना प्रकट नहीं है तथा प्रफोर्मा डिफेंडेंट संख्या 4 आशीष धांधिया मृतका का पति है। प्रार्थीगण की साक्ष्य के अनुसार मृतका अपने पति के साथ नहीं रहती थी। मृतका की माता द्वारा साक्ष्य दी गई है कि उसकी दोनों पुत्रियों की आय से उनके परिवार का भरण–पोषण होता था। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों में केवल मृतका के माता–पिता को उस पर आश्रित माना जाना न्यायोचित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **2009 (2) T.A.C. 677 (S.C.) Smt. Sarla Verma and others Vs. Delhi Transport Corporation and Another** में प्रतिपादित सिद्धान्तों व दिशा–निर्देशों की अनुपालना में वक्त दुर्घटना मृतका के आश्रितों की संख्या 2 होने के कारण मृतक की आय में से 1/3 राशि मृतका द्वारा स्वयं के रहन सहन पर खर्च की जाने वाली राशि के रूप में कटौती की जायेगी। इस प्रकार मृतक की मासिक आय 12,487.5/– रुपये में से 1/3 राशि कटौती किये जाने पर शेष रही 2/3 राशि 8,325/– रुपये मासिक होती है। इस प्रकार आय की क्षति के रूप में राशि की गणना हेतु शेष मासिक आय X गुणांक X 12 माह तदनुसार – 8,325 X 15 X 12 = **14,98,500**/– रुपये निर्धारित की जाती है, जो वह राशि है जिसका नुकसान प्रार्थीगण को मृतक की इस दुर्घटना में असामयिक मृत्यु से उठाना पड़ेगा।

स्नेह वात्सल्य (Consortium), दाह–संस्कार एवं सम्पदा हानि

28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों **SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) NO. 25590 OF 2014 National Insurance Company Limited Versus Pranay Sethi and Ors.** व **New India Assurance Co. Ltd. Vs. Somwati and Others, 2021 (1) R.A.R. 24 (SC)** व **United India Insurance Co. Ltd. Vs. Satinder Kaur @ Satwinder Kaur & Ors.**

Dated 30 June 2020 मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार इस मद में माता–पिता बाबत Parental Consortium, सन्तानों बाबत Filial Consortium तथा पति/पत्नि बाबत Spousal Consortium दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **National Insurance Company Limited Versus Pranay Sethi and Ors. 2017(2) R.A.R. 147 (SC)** में ये दिशा–निर्देश दिये गये हैं कि "Reasonable figures on conventional heads, namely, loss of estate, loss of consortium and funeral expenses should be Rs. 15,000/-, Rs. 40,000/- and Rs. 15,000/- respectively. The aforesaid amounts should be enhanced at the rate of 10% in every three years" अतः वर्तमान प्रकरण में भी उक्त मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार उपरोक्त मदों में क्षतिपूर्ति राशि 10 – 10 प्रतिशत दो बार बढ़ाते हुए प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को मृतका के माता–पिता बाबत् प्रत्येक को Consortium **48,400/–** रुपये दिलाए जाने योग्य पाया जाकर, कुल Consortium राशि **96,800/–** रुपये दिलाए जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थीगण को **Loss of Estate and Funeral Expenses** के मद में क्रमशः **18,150/–** रुपये व **18,150/–** रुपये की राशि दिलाई जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

कुल क्षतिपूर्ति राशि

29. इस प्रकार प्रार्थीगण निम्न क्षतिपूर्ति राशि की प्राप्ति के अधिकारी हैं :–

क.सं.	मद व किस्म	रुपये
1	आय की हानि के लिये	14,98,500/–
2	Loss of Consortium	96,800/–
3	Funeral Expenses	18,150/–
4	Loss of Estate	18,150/–
GRAND TOTAL		**16,31,600/–**

30. अब यह देखा जाना है कि प्रार्थी उक्त प्रतिकर राशि किस–किस अप्रार्थी से किस–किस प्रकार प्राप्त करने के अधिकारी है। विवाद्यक संख्या 01 व 02 की विवेचना में यह निर्धारित किया गया है कि हस्तगत मोटरयान दुर्घटना प्रश्नगत वाहन के चालक अप्रार्थी संख्या 1 की लापरवाही व उपेक्षा के कारण घटित हुई है जिसके परिणामस्वरूप मृतका की मृत्यु कारित हुई, वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी संख्या 2 था तथा प्रश्नगत वाहन अप्रार्थी संख्या 3 से बीमित था। इस प्रकार प्रार्थीगण उपरोक्तानुसार राशि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 से

प्राप्त करने के अधिकारी हैं, तदनुसार यह विवाद्यक प्रार्थीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

(2) – क्लेम याचिका संख्या : 437/2022, श्रीमती सुमन जैन व अन्य बनाम उदित शर्मा व अन्य :–

31. इस संबंध में मृतका तृप्ति जैन की माता एडब्ल्यू 2 श्रीमती सुमन जैन ने साक्ष्य दी है कि उसकी पुत्री तृप्ति जैन की दुर्घटना के समय उम्र 38 वर्ष थी जिसकी जन्मतिथि 11–05–1984 थी तथा वह एम. कॉम तक शिक्षित थी। दुर्घटना से पूर्व उसकी पुत्री सी.ए. के छात्रों को ट्यूशन तृप्ति क्लासेज के नाम से ऑफलाईन व ऑनलाईन पढ़ाती थी। जिसकी मासिक आय 20 हजार रूपये थी। कॉसमॉस जैम्स एक्सपोर्ट, सुभाष चौक में सहायक लेखाकार के पद पर दिनांक 01–04–2021 से कार्यरत थी जिससे मासिक वेतन 18 हजार रुपये था एवं ज्वैल्स इण्डिया, महावीर नगर जयपुर में भी लेखाकार के पद पर कार्य करके 15 हजार रुपये मासिक वेतन अर्जित करती थी। प्रदर्श 49 से 76 किसने जारी किया है वह नहीं बता सकती। स्वतः कहा कि उन पर कंपनी की सील लगी है। प्रदर्श 49 व 64 पर डिस्पेच व रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं है। तृप्ति जैन ट्यूशन क्लासेज चलाती थी, के संबंध में कोई रजिस्टर व दस्तावेज पेश नहीं किया है।

32. प्रार्थीपक्ष की साक्ष्य पर विचार किया गया तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण को दिलायी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में सर्वप्रथम मृतक की आयु व आय का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण को दिलायी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में हमारा विवेचन निम्न प्रकार है :–

मृतक की आयु

33. जहां तक बरवक्त दुर्घटना मृतका तृप्ति जैन की आयु का प्रश्न है तो याचिका में वक्त दुर्घटना मृतक की आयु 38 वर्ष अंकित है, एडब्ल्यू 1 सुमन जैन ने साक्ष्य में मृतका की आयु 38 वर्ष होना तथा उसकी जन्मतिथि 11–05–1984 होना कथित किया है, तृप्ति जैन के आधार कार्ड की प्रति में उसका जन्म वर्ष 1984 व पैन कार्ड की फोटोप्रति में उसकी जन्म दिनांक 11–05–1984 अंकित है, जिसके अनुसार वक्त दुर्घटना उसकी आयु 38 वर्ष होती है, जिसे 36 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में माना जाना उचित है। **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2009 (2) T.A.C. 677 (S.C.) Smt. Sarla Verma and others Vs. Delhi Transport Corporation and Another** में प्रतिपादित सिद्धान्तों व दिशा–निर्देशों की अनुपालना में पंचाट राशि निर्धारण हेतु 15 का गुणांक उपयोग में लाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

मृतक की आय

34. जहां तक मृतका तृप्ति जैन की आय का संबंध है तो उसकी माता एडब्ल्यू 2 सुमन जैन ने सी.ए. के छात्रों को तृप्ति क्लासेज के नाम से ऑफलाइन व ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना और कॉसमोस जेम्स एक्सपोर्ट तथा ज्वैल्स इंडिया महावीर नगर, जयपुर में भी लेखाकार के पद पर कार्य करके वेतन प्राप्त करना कथित किया है जिसके संबंध में यद्यपि प्रदर्श 49 कॉसमोस जेम्स एक्सपोर्ट का वेतन प्रमाण पत्र तथा प्रदर्श 64 ज्वैल्स इंडिया की ओर से जारी वेतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं व उक्त फर्म्स के भुगतान वाउचर प्रदर्श 50 से 76 प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन दोनों ही नियोक्ताओं की साक्ष्य पेश नहीं की गई है। प्रदर्श 49 व 64 पर कोई डिस्पैच नंबर व दिनांक अंकित नहीं है। वेतन प्रदाता फर्म की कोई अकाउंट बुक पेश नहीं है, ना ही नियोक्ता फर्म की आयकर रिटर्न पेश है। यदि मृतका उक्त दोनों फर्म्स से कोई आय अर्जित करती थी तो उससे संबंधित आयकर रिटर्न भी पेश नहीं हैं। ट्यूशन का कार्य कर आय अर्जित करने का भी कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। इस प्रकार आय संबंधी पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं है। तथापि प्रदर्श 77 मृतका की एम.कॉम की अंकतालिका है जिससे मृतका का एकाउंटेंसी व बिज़नैस स्टेटिस्टिक्स विषय में एम. कॉम की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना प्रकट है, जिससे यह माना जाने योग्य है कि मृतका तृप्ति जैन अकाउंटेंट के पद हेतु कार्य करने हेतु योग्य थी। राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2022, संख्या एफ.8(5)(6)न्यू.म. अभि. / श्रम / आई.आर. / 2000 / पार्ट / 17953 के अनुसार एकाउण्टेंट को उच्च कुशल श्रमिक की श्रेणी में माना गया है।

35. अतः उपरोक्तानुसार मृतका को स्वनियोजित मानते हुए उसकी आय तत्प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के प्रावधानों के अनुसार उच्च कुशल श्रेणी के श्रमिक के बराबर मानी जाना उचित है जो राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार दुर्घटना के समय 333 / – रुपये प्रतिदिन थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के विनिश्चय **लीलाराम बनाम देशराज व अन्य 2021 (2) एसीटीसी (राजस्थान) 1113** में मासिक आय कार्यदिवस 30 दिन मानकर निर्धारित किये जाने के दिशा–निर्देश दिये गये हैं। उक्त विनिश्चय से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Special Leave Petitition (Civil) No. 25590 of 2014 National Insurance Company Limited Vs. Pranay Sethi & Ors.** की रोशनी में मृतका को स्वनियोजित मानते हुए दुर्घटना के समय राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार उसकी आय घटना के दिन एक

उच्च कुशल मजदूर की आय के समान मानी जाकर, आय प्रतिदिन 333/– रुपये व प्रतिमाह 30 कार्यदिवस मानते हुए मृतका की मासिक आय **9,990**/– रुपये निर्धारित की जाती है।

भविष्य वृद्धि

36. न्यायिक दृष्टान्त **Special Leave Petitition (Civil) No. 25590 of 2014 National Insurance Company Limited Vs. Pranay Sethi & Ors.** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृतका के 40 वर्ष से कम आयु के स्वनियोजित व्यक्ति हेतु 40 प्रतिशत भावी आय वृद्धि किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः उक्त 40 प्रतिशत की वृद्धि भावी आय में करने पर 9,990 + 3,996 = **13,986**/– रुपये मृतक की मासिक आय प्राप्त होती है।

आय में कटौती

37. प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 मृतक के माता व पिता हैं, प्रार्थी संख्या 3 मृतका का भाई है जो मृतका पर आश्रित होना प्रकट नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **2009 (2) T.A.C. 677 (S.C.) Smt. Sarla Verma and others Vs. Delhi Transport Corporation and Another** में प्रतिपादित सिद्धान्तों व दिशा–निर्देशों की अनुपालना में वक्त दुर्घटना मृतका के अविवाहित होने के कारण मृतक की आय में से 1/2 राशि मृतका द्वारा स्वयं के रहन सहन पर खर्च की जाने वाली राशि के रूप में कटौती की जायेगी। इस प्रकार मृतक की मासिक आय 13,986/– रुपये में से 1/2 राशि कटौती किये जाने पर शेष रही 1/2 राशि 6,993/– रुपये मासिक होती है। इस प्रकार आय की क्षति के रूप में राशि की गणना हेतु शेष मासिक आय X गुणांक X 12 माह तदनुसार – 6,993 X 15 X 12 = **12,58,740**/– रुपये निर्धारित की जाती है, जो वह राशि है जिसका नुकसान प्रार्थीगण को मृतक की इस दुर्घटना में असामयिक मृत्यु से उठाना पड़ेगा।

स्नेह वात्सल्य (Consortium), दाह–संस्कार एवं सम्पदा हानि

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों **SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) NO. 25590 OF 2014 National Insurance Company Limited Versus Pranay Sethi and Ors.** व **New India Assurance Co. Ltd. Vs. Somwati and Others, 2021 (1) R.A.R. 24 (SC)** व **United India Insurance Co. Ltd. Vs. Satinder Kaur @ Satwinder Kaur & Ors. Dated 30 June 2020** मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार इस मद में माता–पिता बाबत Parental Consortium, सन्तानों बाबत Filial Consortium तथा

पति/पत्नि बाबत Spousal Consortium दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **National Insurance Company Limited Versus Pranay Sethi and Ors. 2017(2) R.A.R. 147 (SC)** में ये दिशा–निर्देश दिये गये हैं कि "Reasonable figures on conventional heads, namely, loss of estate, loss of consortium and funeral expenses should be Rs. 15,000/-, Rs. 40,000/- and Rs. 15,000/- respectively. The aforesaid amounts should be enhanced at the rate of 10% in every three years" अतः वर्तमान प्रकरण में भी उक्त मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार उपरोक्त मदों में क्षतिपूर्ति राशि 10 – 10 प्रतिशत दो बार बढ़ाते हुए प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को मृतका के माता–पिता बाबत् प्रत्येक को Consortium **48,400**/– रुपये दिलाए जाने योग्य पाया जाकर, कुल Consortium राशि **96,800**/– रुपये दिलाए जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थीगण को **Loss of Estate and Funeral Expenses** के मद में क्रमशः **18,150**/– रुपये व **18,150**/– रुपये की राशि दिलाई जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

<u>कुल क्षतिपूर्ति राशि</u>

39. इस प्रकार प्रार्थीगण निम्न क्षतिपूर्ति राशि की प्राप्ति के अधिकारी हैं :–

क्र.सं.	मद व किस्म	रुपये
1	आय की हानि के लिये	12,58,740/–
2	Loss of Consortium	96,800/–
3	Funeral Expenses	18,150/–
4	Loss of Estate	18,150/–
GRAND TOTAL		**13,91,840**/–

40. अब यह देखा जाना है कि प्रार्थी उक्त प्रतिकर राशि किस–किस अप्रार्थी से किस–किस प्रकार प्राप्त करने के अधिकारी है। विवाद्यक संख्या 01 व 02 की विवेचना में यह निर्धारित किया गया है कि हस्तगत मोटरयान दुर्घटना प्रश्नगत वाहन के चालक अप्रार्थी संख्या 1 की लापरवाही व उपेक्षा के कारण घटित हुई है जिसके परिणामस्वरूप मृतका की मृत्यु कारित हुई, वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी संख्या 2 था तथा प्रश्नगत वाहन अप्रार्थी संख्या 3 बजाज एलाइन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित था। इस प्रकार प्रार्थीगण उपरोक्तानुसार राशि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 से प्राप्त करने के अधिकारी हैं, तदनुसार यह विवाद्यक प्रार्थीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

(3)— क्लेम याचिका संख्या : 448/2022, शैलेन्द्र सिंह चौहान बनाम उदित शर्मा व अन्य :—

41. क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न न्यायिक नजीरों में महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किये है, जिनकी सहायता से इस प्रकरण में क्षतिपूर्ति राशि तय की जायेगीः—

1. 2009 पार्ट 2 एसीटीसी पेज 849 उच्चतम न्यायालय सरला वर्मा बनाम डीटीसी
2. 2017 पार्ट 2 एसीटीसी पेज 12 उच्चतम न्यायालय नेशनल इं. बनाम प्रणय सेठी
3. 2011 पार्ट 1 एसीटीसी पेज 10 उच्चतम न्यायालय राजकुमार बनाम अजय

42. प्रार्थी शैलेन्द्र सिंह चौहान को दिलायी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में हमारा विवेचन निम्न प्रकार है जिसके लिए सर्वप्रथम उसकी आयु व आय का निर्धारण किया जाना उचित हैः—

<u>प्रार्थी की आयुः—</u>

43. उक्त विवाद्यक को साबित करने की दिशा में सर्वप्रथम वक्त दुर्घटना प्रार्थी शैलेन्द्र सिंह चौहान की आयु का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। याचिका में प्रार्थी की वक्त दुर्घटना आयु 32 वर्ष अंकित है, प्रार्थी के आधार कार्ड की फोटोप्रति में उसकी जन्म दिनांक 01—07—1990 अंकित है जिसके अनुसार वक्त दुर्घटना उसकी आयु लगभग 31 वर्ष 11 माह होती है, जो 31 — 35 वर्ष आयुवर्ग में मानी जाना न्यायोचित है।

<u>प्रार्थी की आय :—</u>

44. इस विवाद्यक बिन्दु को प्रमाणित करने के लिए यह तय किया जाना उचित है कि वक्त दुर्घटना प्रार्थी शैलेन्द्र सिंह चौहान की कितनी आय थी। याचिका में प्रार्थी का प्राइवेट जॉब करके 42,000/— रुपये मासिक आय अर्जित करना अंकित है, प्रार्थी की साक्ष्य के अनुसार वह दुर्घटना के समय संस्कृति आर्किटेक्ट के यहां काम करके 42,000/— रुपये मासिक वेतन प्राप्त करता था। प्रार्थी ने स्वयं का वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श 21 पेश किया है, जिसके अनुसार प्रार्थी संस्कृति आर्किटेक्ट में कार्यरत है, दुर्घटना के कारण 3 माह अवकाश पर रहा, जिस अवधि का वेतन उसे नहीं दिया गया तथा इस दौरान उसका वेतन 42,000/— रुपये प्रतिमाह होना अंकित है। लेकिन उक्त प्रमाण पत्र पर जारी करने की कोई दिनांक अंकित नहीं है तथा ना ही कोई डिस्पेच नंबर अंकित है। प्रमाण—पत्र जारी करने वाला व्यक्ति फर्म का स्वामी है या अन्य कोई प्राधिकारी, यह भी स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी का कोई नियुक्ति पत्र पेश नहीं है, उसके नियोक्ता को भी साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है, ना ही प्रार्थी का कोई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पेश है तथा ना ही उसके आर्किटेक्ट

होने संबंधी कोई शैक्षणिक दस्तावेज पेश है, जिससे उसे उक्त कंपनी में आर्किटेक्ट के रूप में कार्य करके वेतन प्राप्त करना प्रकट होता हो। इस प्रकार वक्त दुर्घटना उसकी आय व व्यवसाय प्रमाणित नहीं हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को स्वनियोजित मानते हुए उसकी आय तत्प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के प्रावधानों के अनुसार अकुशल श्रेणी के श्रमिक के बराबर मानी जाना उचित है, जो राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार दुर्घटना के समय 259 / – रुपये प्रतिदिन थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **लीलाराम बनाम देशराज व अन्य 2021 (2) एसीटीसी (राजस्थान) 1113** में मासिक आय कार्यदिवस 30 दिन मानकर निर्धारित किये जाने के दिशा–निर्देश दिये हैं। उक्त विनिश्चय से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Special Leave Petitition (Civil) No. 25590 of 2014 National Insurance Company Limited Vs. Pranay Sethi & Ors.** की रोशनी में प्रार्थी को स्वनियोजित मानते हुए दुर्घटना के समय राजस्थान सरकार के श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार उसकी आय घटना के दिन एक अकुशल मजदूर की आय के समान मानी जाकर, आय प्रतिदिन **259** / – रुपये व प्रतिमाह 30 कार्यदिवस मानते हुए मासिक आय 7,770 / – रुपये निर्धारित की जाती है, जो **93,240** / – रुपये वार्षिक होती है।

गुणांकः–

45. प्रार्थी की आयु घटना के समय 31 वर्ष निर्धारित की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **2009 (2) T.A.C. 677 (S.C.) Smt. Sarla Verma and others Vs. Delhi Transport Corporation and Another** के मामले में 31–35 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों के लिये 16 के गुणांक का प्रयोग करते हुए प्रतिकर राशि की गणना का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त विनिश्चय की रोशनी में 16 के गुणांक का प्रयोग किया जाना न्यायसंगत है।

प्रार्थी की स्थायी निःशक्तताः–

46. दुर्घटना के पश्चात् प्रार्थी शैलेन्द्र सिंह चौहान की आय अर्जन की क्षमता में कितनी कमी हुई, यह भी साक्ष्य के जरिये प्रार्थी को ही प्रमाणित करना आवश्यक है। इस संबंध में एडब्ल्यू 1 शैलेन्द्र सिंह चौहान ने साक्ष्य में कथन किया है कि उसके दायें पैर में फ्रेक्चर हो गया था व शरीर के अन्य भागों में चोटें आयी थी। दुर्घटना में आयी चोटों के कारण उसे चलने–फिरने, उठने बैठने व दैनिक कार्य करने में परेशानी होती है। उसके इलाज में करीब 02 लाख रुपये खर्च हो गये थे। दुर्घटना के समय वह संस्कृति आर्किटेक्ट के यहाँ पर काम करता था तथा उसका मासिक

वेतन 42 हजार रुपये था। दिनांक 05–06–2022 से दिनांक 05–09–2022 तक बैड रेस्ट पर रहा था जिसके कारण उसे कोई वेतन नहीं मिला था। उसके पैर में रॉड डली हुई है जिसके कारण उसे दिक्कत होती है। जिरह में मुख्यतः कथन किया कि वह आर्किटेक्ट है। वह वर्तमान में संस्कृति आर्किटेक्ट में कार्यरत है। दुर्घटना में उसके पैर में चोट आयी थी। उसने अवकाश पर रहने के संबंध में दस्तावेज पेश नहीं किया है। स्वतः कहा कि उसका प्लास्टर दो महीने बाद खुला था। उसने 02 लाख रुपये के इलाज के खर्चे के संबंध में दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। प्रदर्श 18 पी डी बनाने वाले चिकित्सक ने उसका इलाज नहीं किया है। यह कहना गलत है कि उसकी पी.डी. बनाने से पूर्व कोई जाँच नहीं की गयी हो लेकिन उसने जाँच के दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। वह स्वयं चलकर आया है।

47. हस्तगत प्रकरण में प्रदर्श 18 स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र राजकीय जिला चिकित्सालय दौसा के मेडिकल बोर्ड द्वारा बनाया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी को 22.80 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता होना दर्शाया गया है। उक्त साक्ष्य को प्रार्थी की आय की क्षति के संबंध में देखा जाना है।

48. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **2011 पार्ट 01 एसीटीसी पेज 10 राजकुमार बनाम अजय कुमार** के मामलें में पेरा 10, 13(1)(2)(3) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अधिकरण को यह देखना होता है कि दुर्घटना में आयी चोटों के कारण आहत को कारित स्थायी अक्षमता से क्या आहत की अर्जन क्षमता कम या प्रभावित हुयी है। दुर्घटना में आयी चोटों के कारण क्या आहत किसी भी प्रकार से यानि वर्तमान कार्य को छोडकर अन्य कार्य करके भी आय अर्जित करने में असमर्थ हो गया है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सरनाम सिंह बनाम श्रीराम जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी व अन्य एसएलपी संख्या 3900/23 निर्णय दिनांक 04–07–2023** में यह विनिश्चित किया है कि "any physical disability resulting from an accident has to be judged with reference to the nature of work being performed by the person who suffered disability." इस प्रकार आहत की आय अर्जित करने की क्षमता की कमी अधिकरण द्वारा ही तय की जानी है। जिसमें अधिकरण आहत के रोजगार/नौकरी/व्यवसाय की प्रकृति, आहत की उम्र व अन्य कारणों को ध्यान में रखेगा। अंग विशेष की स्थाई निशक्तता सम्पूर्ण शरीर की कार्यक्षमता को किस प्रकार से व किस हद तक प्रभावित करती है, उसी के आधार पर सम्पूर्ण शरीर की स्थाई निशक्तता का आकलन किया जायेगा।

49. प्रार्थी जितेन्द्र के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 17 के अनुसार उसके सिर, चेहरे, दायें पैर, दायीं कोहनी, पीठ व छाती में, बायें हाथ, दायें घुटने में कुल 9 चोटें कारित हुई है। उसकी एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श 14 के अनुसार प्रार्थी के सिर, चेहरे व दायीं कोहनी की चोट साधारण प्रकृति की पायी गई है तथा मिडियल मेलियोलस व फिबुला हड्डी का फ्रैक्चर कारित होकर दायें पैर के पंजे की चोट गंभीर प्रकृति की होना अंकित है। उसके डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श 20 में भी उसके मिडियल मेलियोलस फिबुला का फ्रैक्चर होना अंकित है। स्थायी निर्योग्यता का प्रतिशत सम्पूर्ण शरीर के संबंध में नहीं है। जिन चिकित्सकों द्वारा स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र बनाया गया है, उनके द्वारा प्रार्थी को इलाज किया जाना प्रकट नहीं है। प्रार्थी का वक्त दुर्घटना याचिका में अंकितानुसार कार्य करके आय अर्जित करना प्रमाणित नहीं है। प्रार्थी एडब्ल्यू 1 ने साक्ष्य में वर्तमान में संस्कृति आर्किटेक्ट में कार्य करना कथित किया है। प्रार्थी के स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र में उसे cross leg and squatting position में बैठने में असुविधा होना अंकित है। अतः प्रदर्श 18 स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र में वर्णित 22.80 प्रतिशत निर्योग्यता को आहत की आय अर्जित करने की क्षमता की कमी (functional disability) के सम्बन्ध में 10 प्रतिशत स्थाई निशक्तता माना जाना न्यायोचित है।

<u>स्थायी अक्षमता के कारण आय की हानि :–</u>

50. जैसा कि ऊपर विवेचित किया जा चुका है कि प्रार्थी की वार्षिक आय 93,240 / – रूपये और प्रार्थी की आयु वर्ग का गुणांक 16 का लगाया जाना है। प्रार्थी की आय अर्जित करने की क्षमता में कमी के सन्दर्भ में 10 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता तय की गयी है। इस प्रकार प्रार्थी की आय की क्षति के रूप में 93,240 X 16 X 10% = **1,49,184** / – रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

<u>स्थायी अक्षमता के कारण भविष्य की आय की हानि :–</u>

51. प्रार्थी की आयु वक्त दुर्घटना 32 साल निर्धारित की गई है। अतः भविष्य की हानि के लिए 40 प्रतिशत राशि दिलाया जाना विधि सम्मत है। भविष्य की आय की हानि के मद में प्रार्थी 59,673.6 / – रुपये, पूर्णांक में **59,674** / – रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

<u>शारीरिक व मानसिक क्षति का मदः–</u>

52. प्रार्थी के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 17, एक्स रे रिपोर्ट प्रदर्श 14 के अनुसार कुल 9 चोटें कारित हुई है जिसमें से उसके दायें पैर की चोट मिडियल मैलियोलस फिबुला का फ्रैक्चर होने के कारण गंभीर प्रकृति की पायी गई है तथा शेष चोटें

साधारण प्रकृति की हैं। प्रार्थी के डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श 20 के अनुसार उसका ऑपरेशन भी किया गया है। अतः प्रार्थी की उक्त गंभीर प्रकृति की चोट को देखते हुए उसे शारीरिक व मानसिक कष्ट के मद में **10,000**/– रुपये दिलाये जाना न्यायोचित है।

अस्पताल में भर्ती रहने, आहार, परिवहन व इलाज खर्च के मद में :–

53. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श 20 के अनुसार वह दिनांक 05–06–2022 से 08–06–2022 तक 3 दिन एस.एम.एस. अस्पताल में भर्ती रहा है, अतः अस्पताल में रहने के दौरान परिचर्या व्यय के मद में प्रार्थी 600/– रुपये प्रतिदिन के हिसाब से **1,800**/– रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

54. प्रार्थी के इलाज संबंधी बिल प्रदर्श 22 पेश किया है जिसकी राशि **2,100**/– रुपये प्रार्थी को देय हैं।

55. प्रार्थी के दुर्घटना में गंभीर चोटें कारित हुई है, अतः वह विशिष्ट आहार व परिवहन मद में क्रमशः **5,000** व **5,000** रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

56. इस प्रकार उपरोक्त मदों में प्रार्थी कुल **13,900**/– रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

57. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/आहत निम्न क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का हकदार हैः–

क्र. सं.	मद	राशि
1.	स्थायी अक्षमता के कारण आय की हानि	1,49,184/– रूपये
2.	भविष्य की आय की हानि	59,674/– रुपये
3.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा	10,000/– रुपये
4.	इलाज, अस्पताल में भर्ती रहने, पौष्टिक आहार व परिवहन आदि पर किया व्यय	13,900/– रुपये
	कुल क्षतिपूर्ति राशि	**2,32,758**/– रुपये

58. अब यह देखा जाना है कि प्रार्थी उक्त प्रतिकर राशि किस–किस अप्रार्थी से किस–किस प्रकार प्राप्त करने के अधिकारी है। विवाद्यक संख्या 01 व 02 की विवेचना में यह निर्धारित किया गया है कि हस्तगत मोटरयान दुर्घटना प्रश्नगत वाहन चालक अप्रार्थी संख्या 1 की गलती व लापरवाही से घटित हुयी है, वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन का पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी संख्या 2 था तथा वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन बजाज एलाइन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अप्रार्थी संख्या 3 से बीमित था। इन परिस्थितियों में अप्रार्थीगण प्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

विवाद्यक संख्या 05:–

59. यह विवाद्यक अनुतोष से संबंधित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवाद्यक संख्या 1, 2, 3 व 4 के निष्कर्ष के अनुसार क्लेम याचिकाएं प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 स्वीकार किये जाने योग्य है। क्लेम याचिका संख्या 436/2022 में प्रार्थीगण श्रीमती सुमन जैन व अन्य कुल क्षतिपूर्ति राशि **16,31,600**/– रुपये, क्लेम याचिका संख्या 437/2022 में प्रार्थीगण श्रीमती सुमन जैन व अन्य कुल क्षतिपूर्ति राशि **13,91,840**/– रुपये तथा क्लेम याचिका संख्या 448/2022 का प्रार्थी शैलेन्द्र सिंह चौहान कुल क्षतिपूर्ति राशि **2,32,758**/– रुपये तथा उस पर पृथक–पृथक रूप से क्लेम याचिकाएं प्रस्तुति दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे।

पंचाट

(1) – क्लेम याचिका संख्या : 436/2022, श्रीमती सुमन जैन व अन्य बनाम उदित शर्मा व अन्य :–

60. परिणामतः प्रार्थीगण श्रीमती सुमन जैन व अन्य द्वारा प्रीति जैन की मृत्यु के संबंध में प्रस्तुत क्लेम याचिका अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के विरुद्ध संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में **16,31,600**/– रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। प्रार्थीगण उक्त पंचाट राशि तथा उस पर क्लेम याचिका पेश करने की दिनांक 13–07–2022 से 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। पंचाट की राशि का भुगतान वसूल होने पर प्रार्थीगण को निम्न प्रकार से किया जावेगा:–

क्र. सं.	प्रार्थीगण	बचत खाता रुपये	मियादी खाता रुपये	अवधि
1. 2.	श्रीमती सुमन जैन पत्नी श्री रतन लाल जैन, उम्र 69 वर्ष तथा रतन लाल जैन पुत्र स्व. श्री जोगी दास जैन, उम्र 81 वर्ष	4,91,600/– मय ब्याज (संयुक्त खाता)	3,40,000/– 4,00,000/– 4,00,000/–	1 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष

61. दोनों पक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय **परमिन्दर सिंह बनाम हनी गोयल AIR 2025 SC 1713** के मामले में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें, इस हेतु निम्न आदेश पारित किया जाता है कि –

(i). आदेशित भुगतानकर्ता उक्त पंचाट में पारित आदेशानुसार राशि मय ब्याज प्रार्थीगण के बैंक खातों में नियमानुसार जमा करायें।

(ii). प्रार्थीगण भुगतानकर्ता पक्ष को नियमानुसार अपने MACT बैंक खाते संबंधी सूचना अविलम्ब अप्रार्थीगण/भुगतानकर्ता को व अधिकरण को मय सत्यापित आवश्यक दस्तावेजात उपलब्ध करावें।

(a) खाताधारक का नाम
(b) बैंक का नाम मय स्थान
(c) पैनकार्ड संख्या
(d) MACT खाता संख्या
(e) IFSC Code
(f) आधार कार्ड
(g) Bank E-mail Id

(iii). यदि प्रार्थीगण उक्त बैंक संबंधी विस्तृत सूचना आदेश की तिथि से 30 दिवस के भीतर अधिकरण व संबंधित भुगतानकर्ता को उपलब्ध नहीं कराते हैं तथा संबंधित भुगतानकर्ता लिखित में अधिकरण के समक्ष अवार्ड राशि जमा कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते है तो भुगतान संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त आवेदन की तिथि के बाद जब तक प्रार्थीगण द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तब तक उक्त अवार्ड राशि पर किसी प्रकार का उक्त अवधि तक ब्याज देय नहीं होगा। संबंधित भुगतानकर्ता सम्पूर्ण सूचनाएँ सत्यापित कर बाद जाँच उक्त अवार्ड राशि संबंधित बैंक खाते में सावधानीपूर्वक जमा करायेंगे, जिसके लिए वे पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(iv). प्रार्थीगण एक अण्डरटेकिंग अविलम्ब इस आशय की प्रस्तुत करें कि वे अपने खाते में भुगतानकर्ता द्वारा जमा राशि का अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना सुनिश्चित होने यथा सावधि जमा आदि होने के पश्चात ही नियमानुसार निकासी कर सकेंगें।

(v). प्रार्थीगण द्वारा अपने बैंक खाते की डिटेल प्रस्तुत करने पर लिपिक उक्त संबंधित बैंक को अधिकरण के पंचाट आदेश की प्रति भेजकर अधिकरण के आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु अविलम्ब आदेश की प्रति ई—मेल करेंगे व पालना होने पर बैंक सम्पूर्ण डिटैल इस अधिकरण को प्रेषित करेंगे। संबंधित बैंक इस प्रकार के MACT अकाउण्ट बाबत् जारी समस्त परिपत्रों की आवश्यक रूप से पालना करेंगें।

(vi). सम्बंधित अप्रार्थी पक्ष द्वारा राशि उक्तानुसार जमा कराने पर उपरोक्त सूचना मय दस्तावेज अधिकरण में प्रस्तुत करेंगे।

(vii). प्रार्थीगण का बैंक प्रार्थीगण को उक्त सावधि जमाओं के आधार पर अधिकरण की अनुमति के बिना कोई ऋण या अग्रिम राशि स्वीकृत नहीं करेगा तथा परिपक्वता पूर्व भुगतान नहीं करेगा।

(viii). प्रार्थीगण का बैंक अधिकरण की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को संयुक्त खाताधारक के रूप में नहीं जोडेगा।

(ix). प्रार्थी के नाबालिग होने की दशा में इस प्रकृति का उसके बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किया जावे जिसमें उसके संरक्षक का नाम विनिर्दिष्ट हो।

(x). प्रार्थी/आहत के नाम जो एफ डी आर की गई है उन सभी पर मासिक ब्याज जरिये बचत खाता देय होगा।

(xi). यदि अप्रार्थीगण / भुगतानकर्ता प्रार्थीगण को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के ब्याज का TDS काटा गया है तो उसका पूर्ण विवरण निर्णय में दिये गय प्रपत्र के अनुसार अधिकरण के समक्ष पेश करेंगे। इसके अतिरिक्त TDS कटौती की स्थिति में फार्म नम्बर 16ए भी अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे व प्रार्थीगण के अधिवक्ता को भी सूचित करेंगे।

(2) – क्लेम याचिका संख्या : 437/2022, श्रीमती सुमन जैन व अन्य बनाम उदित शर्मा व अन्य :–

62. परिणामतः प्रार्थीगण श्रीमती सुमन जैन व अन्य द्वारा तृप्ति जैन की मृत्यु के संबंध में प्रस्तुत क्लेम याचिका अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के विरुद्ध संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में **13,91,840**/– रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। प्रार्थीगण उक्त पंचाट राशि तथा उस पर क्लेम याचिका पेश करने की दिनांक 13–07–2022 से 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। पंचाट की राशि का भुगतान वसूल होने पर प्रार्थीगण को निम्न प्रकार से किया जावेगाः–

क्र. सं.	प्रार्थीगण	बचत खाता रुपये	मियादी खाता रुपये	अवधि
1. 2.	श्रीमती सुमन जैन पत्नी श्री रतन लाल जैन, उम्र 69 वर्ष तथा रतन लाल जैन पुत्र स्व. श्री जोगी दास जैन, उम्र 81 वर्ष	4,41,840/– मय ब्याज (संयुक्त खाता)	3,50,000/– 3,00,000/– 3,00,000/–	1 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष

63. दोनों पक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय **परमिन्दर सिंह बनाम हनी गोयल AIR 2025 SC 1713** के मामले में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें, इस हेतु निम्न आदेश पारित किया जाता है कि –

(i). आदेशित भुगतानकर्ता उक्त पंचाट में पारित आदेशानुसार राशि मय ब्याज प्रार्थीगण के बैंक खातों में नियमानुसार जमा करायें।

(ii). प्रार्थीगण भुगतानकर्ता पक्ष को नियमानुसार अपने MACT बैंक खाते संबंधी सूचना अविलम्ब अप्रार्थीगण/भुगतानकर्ता को व अधिकरण को मय सत्यापित आवश्यक दस्तावेजात उपलब्ध करावें।

(a) खाताधारक का नाम
(b) बैंक का नाम मय स्थान
(c) पैनकार्ड संख्या
(d) MACT खाता संख्या
(e) IFSC Code
(f) आधार कार्ड
(g) Bank E-mail Id

(iii). यदि प्रार्थीगण उक्त बैंक संबंधी विस्तृत सूचना आदेश की तिथि से 30 दिवस के भीतर अधिकरण व संबंधित भुगतानकर्ता को उपलब्ध नहीं कराते हैं तथा संबंधित भुगतानकर्ता लिखित में अधिकरण के समक्ष अवार्ड राशि जमा कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते है तो भुगतान संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त आवेदन की तिथि के बाद जब तक प्रार्थीगण द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तब तक उक्त अवार्ड राशि पर किसी प्रकार का उक्त अवधि तक ब्याज देय नहीं होगा। संबंधित भुगतानकर्ता सम्पूर्ण सूचनाएँ सत्यापित कर बाद जाँच उक्त अवार्ड राशि संबंधित बैंक खाते में सावधानीपूर्वक जमा करायेंगे, जिसके लिए वे पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(iv). प्रार्थीगण एक अण्डरटेकिंग अविलम्ब इस आशय की प्रस्तुत करें कि वे अपने खाते में भुगतानकर्ता द्वारा जमा राशि का अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना सुनिश्चित होने यथा सावधि जमा आदि होने के पश्चात ही नियमानुसार निकासी कर सकेंगें।

(v). प्रार्थीगण द्वारा अपने बैंक खाते की डिटेल प्रस्तुत करने पर लिपिक उक्त संबंधित बैंक को अधिकरण के पंचाट आदेश की प्रति भेजकर अधिकरण के आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु अविलम्ब आदेश की प्रति ई—मेल करेंगे व पालना होने पर बैंक सम्पूर्ण डिटैल इस अधिकरण को प्रेषित करेंगे। संबंधित बैंक इस प्रकार के MACT अकाउण्ट बाबत् जारी समस्त परिपत्रों की आवश्यक रूप से पालना करेंगें।

(vi). सम्बंधित अप्रार्थी पक्ष द्वारा राशि उक्तानुसार जमा कराने पर उपरोक्त सूचना मय दस्तावेज अधिकरण में प्रस्तुत करेंगे।

(vii). प्रार्थीगण का बैंक प्रार्थीगण को उक्त सावधि जमाओं के आधार पर अधिकरण की अनुमति के बिना कोई ऋण या अग्रिम राशि स्वीकृत नहीं करेगा तथा परिपक्वता पूर्व भुगतान नहीं करेगा।

(viii). प्रार्थीगण का बैंक अधिकरण की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को संयुक्त खाताधारक के रूप में नहीं जोडेगा।

(ix). प्रार्थी के नाबालिग होने की दशा में इस प्रकृति का उसके बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किया जावे जिसमें उसके संरक्षक का नाम विनिर्दिष्ट हो।

(x). प्रार्थी / आहत के नाम जो एफ डी आर की गई है उन सभी पर मासिक ब्याज जरिये बचत खाता देय होगा।

(xi). यदि अप्रार्थीगण / भुगतानकर्ता प्रार्थीगण को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के ब्याज का TDS काटा गया है तो उसका पूर्ण विवरण निर्णय में दिये गय प्रपत्र के अनुसार अधिकरण के समक्ष पेश करेंगे। इसके अतिरिक्त TDS कटौती की स्थिति में फार्म नम्बर 16ए भी अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे व प्रार्थीगण के अधिवक्ता को भी सूचित करेंगे।

(3)– क्लेम याचिका संख्या : 448 / 2022, शैलेन्द्र सिंह चौहान बनाम उदित शर्मा व अन्य :–

64. परिणामतः प्रार्थी शैलेन्द्र सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के विरुद्ध संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से स्वीकार की जाकर प्रार्थी के पक्ष में **2,32,758** / – रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। प्रार्थी क्षतिपूर्ति स्वरूप उपरोक्त पंचाट राशि तथा उस पर क्लेम याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 01–08–2022 से 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा। प्रार्थी को क्षतिपूति राशि निम्न प्रकार से दिलाई जावेगीः–

प्रार्थी	बचत खाता	मियादी खाता	अवधि
शैलेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री रणधीर सिंह चौहान, उम्र 32 वर्ष	82,758 / – मय ब्याज	1,50,000 / –	1 वर्ष

65. दोनों पक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय **परमिन्दर सिंह बनाम हनी गोयल AIR 2025 SC 1713** के मामले में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें, इस हेतु निम्न आदेश पारित किया जाता है कि –

(i). आदेशित भुगतानकर्ता उक्त पंचाट में पारित आदेशानुसार राशि मय ब्याज प्रार्थीगण के बैंक खातों में नियमानुसार जमा करायें।

(ii). प्रार्थी भुगतानकर्ता पक्ष को नियमानुसार अपने MACT बैंक खाते संबंधी सूचना अविलम्ब अप्रार्थीगण / भुगतानकर्ता को व अधिकरण को मय सत्यापित आवश्यक दस्तावेजात उपलब्ध करावें।

(a) खाताधारक का नाम

(b) बैंक का नाम मय स्थान

(c) पैनकार्ड संख्या
(d) MACT खाता संख्या
(e) IFSC Code
(f) आधार कार्ड
(g) Bank E-mail Id

(iii). यदि प्रार्थी उक्त बैंक संबंधी विस्तृत सूचना आदेश की तिथि से 30 दिवस के भीतर अधिकरण व संबंधित भुगतानकर्ता को उपलब्ध नहीं कराता है तथा संबंधित भुगतानकर्ता लिखित में अधिकरण के समक्ष अवार्ड राशि जमा कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो भुगतान संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त आवेदन की तिथि के बाद जब तक प्रार्थी द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तब तक उक्त अवार्ड राशि पर किसी प्रकार का उक्त अवधि तक ब्याज देय नहीं होगा। संबंधित भुगतानकर्ता सम्पूर्ण सूचनाएं सत्यापित कर बाद जांच उक्त अवार्ड राशि संबंधित बैंक खाते में सावधानीपूर्वक जमा करायेंगे, जिसके लिए वे पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(iv). प्रार्थी एक अण्डरटेकिंग अविलम्ब इस आशय की प्रस्तुत करे कि वह अपने खाते में भुगतानकर्ता द्वारा जमा राशि का अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना सुनिश्चित होने यथा सावधि जमा आदि होने के पश्चात ही नियमानुसार निकासी कर सकेगा।

(v). प्रार्थी द्वारा अपने बैंक खाते की डिटेल प्रस्तुत करने पर लिपिक उक्त संबंधित बैंक को अधिकरण के पंचाट आदेश की प्रति भेजकर अधिकरण के आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु अविलम्ब आदेश की प्रति ई–मेल करेंगे व पालना होने पर बैंक सम्पूर्ण डिटैल इस अधिकरण को प्रेषित करेंगे। संबंधित बैंक इस प्रकार के MACT अकाउण्ट बाबत् जारी समस्त परिपत्रों की आवश्यक रूप से पालना करेंगें।

(vi). सम्बंधित अप्रार्थी पक्ष द्वारा राशि उक्तानुसार जमा कराने पर उपरोक्त सूचना मय दस्तावेज अधिकरण में प्रस्तुत करेंगे।

(vii). प्रार्थी का बैंक प्रार्थीगण को उक्त सावधि जमाओं के आधार पर अधिकरण की अनुमति के बिना कोई ऋण या अग्रिम राशि स्वीकृत नहीं करेगा तथा परिपक्वता पूर्व भुगतान नहीं करेगा।

(viii). प्रार्थीगण का बैंक अधिकरण की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को संयुक्त खाताधारक के रूप में नहीं जोडेगा।

(ix). प्रार्थी के नाबालिग होने की दशा में इस प्रकृति का उसके बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किया जावे जिसमें उसके संरक्षक का नाम विनिर्दिष्ट हो।

(x). प्रार्थी/आहत के नाम जो एफ डी आर की गई है उन सभी पर मासिक ब्याज जरिये बचत खाता देय होगा।

(xi). यदि अप्रार्थीगण / भुगतानकर्ता द्वारा प्रार्थी को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के ब्याज का TDS काटा गया है तो उसका पूर्ण विवरण निर्णय में दिये गय प्रपत्र के अनुसार अधिकरण के समक्ष पेश करेंगे। इसके अतिरिक्त TDS कटौती की स्थिति में फार्म नम्बर 16ए भी अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे व प्रार्थी के अधिवक्ता को भी सूचित करेंगे।

(नुसरत बानो)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सं0—2,
जयपुर महानगर प्रथम

66. निर्णय आज दिनांक 13—08—2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नुसरत बानो)
न्यायाधीश
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सं0—2,
जयपुर महानगर प्रथम

POONAM KUMARI MEENA
Steno Gr.II "Authenticated Document" Digitally signed by POONAM KUMARI MEENA Date: 2026.08.14 13:01:34 +0530